**अपील सूचना अधिकार संख्या 71/2017 अपीलार्थी श्री जयप्रकाश म0न0 जे-157 पार्श्वनाथ सिटी सगंरिया पाल वाई पास रोड जोधपुर -342013 बनाम लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**21-11-2017**

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जयप्रकाश उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। **पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जय प्रकाश ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपना आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2017 मा0 लोक सूचना अधिकारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, राजस्व (ग्रुप-10/पुर्न0) विभाग राज0 सरकार, जयपुर को प्रस्तुत किया था जो लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी (पुनर्वास) श्रीगंगानगर को मुन्तकिल किये जाने पर अपीलार्थी को वांछित सूचनांए उसके चाहे अनुसार न मिलने के कारण उसके द्वारा प्रस्तुत अपील भी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं शासन संयुक्त सचिव, पुनर्वास विभाग, राज0 जयपुर के पत्र दिनांक 30.09.17 से अन्तरण होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई है। अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.07.17 के द्वारा निम्न सूचनांए चाही है:-**

1:- राजस्व एंव उपनिवेशन क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में दि0 22.09.2015 को मा0 राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री की अध्यक्षता में विधानसभा के कमेटी कक्ष में आयोजित बैठक में उठाये गये बिन्दुओ के सम्बन्ध में दिनांक 04.12.2015 को बैठक आयोजित की गई। जिसमें बीकानेर/ हनुमानगढ/श्रीगंगानगर/जैसलमेर के मंत्रीगण व अधिकारीगण शामिल हुए। इसमें सचिव राजस्व एंव उपनिवेशन विभाग, शासन उपसचिव, उपनिवेशन विभाग, अति. आयुक्त उपनिवेशन, जैसलमेर आदि शामिल हुए थे। इस संदर्भ में बिन्दुवार सूचना चाहिए।

2:- कार्यवाही विवरण के अनुसार क्रमांक 1 की बिन्दु vi के अनुसार पुर्नवास सम्बन्धी भूमि का आंवटन करने हेतु 199 मुरब्बे आरक्षित बताये गये थे तथा यह भी अवगत कराया गया कि यदि कोई प्रकरण प्राप्त होगा तो उसका आवंटन किया जायेगा। इस बिन्दु पर सूचनाए चाहिये।

3:- जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को कस्टोडियन भूमि आंवटन बाबत कोई प्रकरण प्राप्त होता है तो उसके मूल दस्तावेज के साथ जिला कलक्टर जैसलमेर को भिजवाये जायेगें। इस बिन्दु पर सूचना चाहिये।

4:- जिला कलक्टर/प्रभारी अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 1370-71 दि0 03.02.2016 को दोहरे आंवटन वाली कस्टोडियन भूमि के निस्तारण हेतु लगभग 158 पेज का प्रकरण जिला कलक्टर, जैसलमेर को भेजना दर्शाया गया है। इस बिन्दु पर सूचनाए चाहिये।

5:- जिला कलक्टर, जैसलमेर द्वारा प्राप्त प्रकरण को 12 माह तक अपने कार्यालय में रोकने सम्बन्धी पर सूचनाए चाहिये।

6:-अति0 आयुक्त उपनिवेशन, जैसलमेर द्वारा 5 माह तक प्रकरण को अपने कार्यालय में रोकने पर जानकारी चाहिये।

7:-अति0 आयुक्त उपनिवेशन, जैसलमेर उपरोक्त मंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में उपस्थित होने तथा कार्यवाही विवरण का पूर्ण ज्ञान होने के बावजूद प्रार्थीया का प्रकरण सहायक आयुक्त उपनिवेशन/सहायक अति0 आयुक्त उपनिवेशन, प्रशासन (ए) मोहनगढ को प्रकरण भेजने के संदर्भ में बिन्दुवार सूचना चाहिए।

8:- सहायक अति0 आयुक्त उपनिवेशन, प्रशासन(बी) मोहनगढ को प्रकरण भेजने के संदर्भ में बिन्दुवार सूचना चाहिए।

9:-उक्त अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण प्रकरण निंस्तारण के संदर्भ में बिन्दुवार सूचनाए चाहिये।

10:–दोहरे आंवटन वाली कस्टोडियम भूमि का निस्तारण करने सम्बन्धी पूर्ण प्रक्रिया के संदर्भ में बिन्दुवार सूचनाएं चाहिये।

11:–प्रार्थिया के पत्रांक जेएमडी/आरटीआई/ए/13/1ए/2017 दिनांक 12.06.2017 आपको भेजना पाया गया है उस पत्र पर सम्पन्न हुई कार्यवाही की बिन्दुवार सूचना चाहिये।

**ये बिन्दु इस प्रकार से है:–**

(ए) मेरे द्वारा उक्त आवेदन प्रकरण निस्तारण हेतु किये गये थे कृपया मेरे आवेदनो पर हुई दैनिक उन्नति बताए अर्थात मेरे उक्त सभी आवेदन किस अधिकारी के पास कब पहुचें। उस अधिकारी के पास यह कितने समय तक रहे ओर उतने समय तक आवेदनो का क्या किया गया। मय बिन्दुवार प्रमाणिक जानकारी दे।

(बी) नियमों के अनुरूप मेरे आवेदनों पर कितने कार्य दिवसों मे कार्यवाही पूर्ण होनी चाहिये। जबकि प्रकरण 1969 से लम्बित है मय बिन्दुवार प्रमाणिक जानकारी दे।

(सी) मेरे ओवदनो पर काफी समय व्यतीत हो चुका है कृपया उन अधिकारियो के नाम व पद बताए जिनसे यह आशा की जाती है कि वे मेरे आवेदनो पर कार्यवाही करते परन्तु उन्होने कार्यवाही नही की मय बिन्दुवार प्रमाणिक जानकारी दे।

(डी) उन अधिकारियों के विरूद्ध अपना कार्य न करने व जनता के शोषण के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी मय बिन्दुवार प्रमाण बिन्दुवार जानकारी दे।

(ई) यह कार्यवाही कब तक की जायेगी मय प्रमाणिक बिन्दुवार जानकारी दे।

(एफ) मेरे आवेदनो पर कार्यवाही सम्पन्न नही होने पर कुल कितने स्मरण पत्र भेजे गये थे मय प्रमाण जानकारी दे।

(जी) अब मुझे कब तक अपने आवेदनो पर सम्पन्न हुई कार्यवाही की जानकारी मिल जायेगी मय प्रमाण जानकारी सूचना दे।

(एच) बिन्दु 1 के अनुसार अति0 आयुक्त उपनिवेशन, जैसलमेर द्वारा कार्यवाही में भाग लिया था। अतः मय प्रमाण बिन्दुवार यह जानकारी दे कि उनके द्वारा कार्यवाही में भाग लेने के पश्चात कुल कितने प्रकरणों का निस्तारण उनके द्वारा किया गया तथा कितने प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग प्रदान किया।

(आई) बिन्दु 2 के अनुसार प्रार्थीया का प्रकरण उक्त अधिकारी को जिला कलक्टर जैसलमेर द्वारा पत्रांक 710 दि0 02.02.2017 को भेजना दर्शाया गया है तथा प्राप्ति दि0 07.02.2017 को हुआ है। इस प्रकरण पर आपके द्वारा आवंटन प्रकिया नही अपनाने की कार्यवाही कारणों की मय प्रमाणिक जानकारी दे।

(जे) उक्त अधिकारी को दि0 07.02.2017 को प्रकरण प्राप्त हुआ तथा उनके द्वारा यह प्रकरण सहायक आयुक्त उपनिवेशन, मोहनगढ (ए) को पत्रांक 1468–70 दि0 10.07.2017 को भेजना दर्शाया है। उक्त अधिकारी द्वारा समय एवं अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की मय प्रमाणिक जानकारी दे।

(के) उक्त अधिकारी द्वारा राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री के आदेशो की अवहेलना करने का प्रमाण साबित हुआ है। अतः इस संदर्भ में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में मय प्रमाण जानकारी बिन्दुवार दे।

(एल) कार्यवाही विवरण के क्रमांक 1 के बिन्दु (vi) के निर्णय अनुसार जिला कलक्टर/प्रभारी अधिकारी (पुर्न0) श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 1370–71 दि0 03.02.2016 को जिला कलक्टर जैसलमेर को भेजना दर्शाया है अतः दि0 07.07.2017 तक प्रकरण पर सम्पन्न हुई कार्यवाही की दैनिक उन्नति अर्थात कार्यवाही विवरण के क्रमांक 1 के बिन्दु (vi) व (vii) के

निर्णय अनुसार मेरे उक्त आवेदन किस अधिकारी के पास कब पहुचां, उस अधिकारी के पास यह कितने समय तक रहा और उतने समय तक आवेदनों व कार्यवाही निर्णय पर क्या किया गया। मय प्रमाण जानकारी दे।

(एम) बिन्दु 5 के अनुसार जिला कलक्टर जैसलमेर ने प्रकरण को 12 माह तक अपने कार्यालय में रोकने के कारण मा0 राजस्व मंत्री के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना हुई है तथा उक्त द्वारा अपना कार्य न करने व जनता का शोषण के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी मय प्रमाण जानकारी दे।

(एन) बिन्दु–6 के अनुसार अति0 आयुक्त उपनिवेशन, जैसलमेर द्वारा प्रकरण को 56 माह तक अपने कार्यालय में रोकने के कारण मा0 राजस्व मंत्री के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना हुई है जबकि आयोजित बैठक में वे स्वंय उपस्थित थे। उक्त द्वारा अपना कार्य न करने व जनता का शोषण के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी मय प्रमाण जानकारी दे।

(ओ) बिन्दु–7 के अनुसार उक्त अधिकारी को कार्यवाही बैठक का ज्ञान व आवंटन प्रकिया का ज्ञान होने के बावजूद उन्होने गलत कार्यालय में प्रकरण निस्तारण हेतु भेजने के कारणों की जानकारी मय प्रमाण बिन्दुवार दे।

(पी) बिन्दु–8 के अनुसार मय प्रमाण पूर्ण जानकारी चाहिये।

(क्यु) बिन्दु–9 के अनुसार मय प्रमाण पूर्ण जानकारी चाहिये।

(आर) बिन्दु–10 के अनुसार कार्यवाही बैठक के क्रमांक 1 के बिन्दु(vi) व (vii) के अनुसार निस्तारण सम्बन्धी पूर्ण प्रकिया की मय प्रमाण जानकारी एवं लगने वाले समय की जानकारी चाहिये।

(एस) बिन्दु–11 के अनुसार मु0 मंत्री जन कल्याण शिविर 2017 में किये गये आवेदन पर अपनाई गई प्रक्रिया पर बिन्दुवार जानकारी चाहिये।

अपीलार्थी के अपील पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 2861 दिनांक 13.10.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 2783–84 दिनांक 27.09.2017 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को भिजवा दी गई थी जो निम्नानुसार भिजवाई गई है:–

| बिन्दु सं | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| A | मेरे द्वारा उक्त आवेदन प्रकरण निस्तारण हेतु किये गये थे कृपया मेरे आवेदनो पर हुई दैनिक उन्नति बताए अर्थात मेरे उक्त सभी आवेदन किस अधिकारी के पास कब पहुचें। उस अधिकारी के पास यह कितने समय तक रहे ओर उतने समय तक आवेदनो का क्या किया गया। मय बिन्दुवार प्रमाणिक सूचनाए दे। | जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्धप करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री, अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल, मत सलाह नमूने मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूंकि खोजकर खोज गये तथ्यों के आधार पर नइ सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है। |
| B | नियमों के अनुसार मेरे आवेदनों पर कितने कार्य दिवसों मे कार्यवाही पूर्ण होनी चाहिये। जबकि प्रकरण 1969 से लम्बित है मय बिन्दुवार प्रमाणिक सूचनाए दे। | |
| C | मेरे ओवदनो पर काफी समय व्यतीत हो चुका है कृपया उन अधिकारियो के नाम व पद बताए जिनसे यह आशा की जाती है कि वे मेरे आवेदनो पर कार्यवाही करते परन्तु उन्होने कार्यवाही नही की मय बिन्दुवार प्रमाणिक सूचनाए दे। | सभी अधिकारीगण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। |

सा०/
जिला कलैक्टर

| | | |
|---|---|---|
| D | उन अधिकारियों के विरूद्ध अपना कार्य न करने व जनता के शोषण के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी मय बिन्दुवार प्रमाणिक जानकारी सूचनाए दे। | जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्धप करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री, अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल, मत सलाह नमूने मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूंकि खोजकर खोज गये तथ्यों के आधार पर नइ सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है। |
| E | यह कार्यवाही कब तक की जायेगी मय बिन्दुवार प्रमाणिक सूचनाए दे। | |
| F | मेरे आवेदनो पर कार्यवाही सम्पन्न नही होने पर कुल कितने स्मरण पत्र भेजे गये थे मय प्रमाण जानकारी दे। | नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। यदि आप प्रकरण से संबधित किसी भी रिकार्ड का आवलोकन करना चाहते है तो किसी कार्य दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर कर सकते है और चिन्हित रिकार्ड की प्रतियां नियमानुसार प्राप्त कर सकते है। |
| G | अब मुझे कब तक अपने आवेदनो पर सम्पन्न हुई कार्यवाही की जानकारी मिल जायेगी मय बिन्दुवार प्रमाणिक सूचना दे। | सूचना के अधिकार अधिनियम में उपलब्ध सूचना ही दी जा सकती है। |
| H | बिन्दु 1 के अनुसार अति0 आयुक्त उपनिवेशन, जैसलमेर द्वारा कार्यवाही में भाग लिया था। अतः मय प्रमाण बिन्दुवार यह जानकारी दे कि उनके द्वारा कार्यवाही में भाग लेने के पश्चात कुल कितने प्रकरणों का निस्तारण उनके द्वारा किया गया तथा कितने प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग प्रदान किया गया। | जिला कलक्टर, जैसलमेर से संबधित है |
| I | बिन्दु 2 के अनुसार प्राथिया का प्रकरण उक्त अधिकारी को जिला कलक्टर जैसलमेर द्वारा पत्रांक 710 दि0 02.02.2017 को भजना दर्शाया गया है तथा प्राप्ति दि0 07.02.2017 को हुआ है। इस प्रकरण पर आपके द्वारा आवंटन प्रकिया नही अपनाने की कार्यवाही कारणों की मय प्रमाणिक जानकारी दे। | जिला कलक्टर, जैसलमेर से संबधित है |
| J | उक्त अधिकारी को दि0 07.02.2017 को प्रकरण प्राप्त हुआ तथा उनके द्वारा यह प्रकरण सहायक आयुक्त उपनिवेशन, मोहनगढ(ए) को पत्रांक 1468–70 दि0 10.07. 2017 को भेजना दर्शाया है। उक्त अधिकारी द्वारा समय एवं अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की मय प्रमाण जानकारी दे। | जिला कलक्टर, जैसलमेर से संबधित है |
| K | उक्त अधिकारी द्वारा राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री के आदेशो की अवहेलना करने का प्रमाण साबित हुआ है। अतः इस संदर्भ में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया मय प्रमाण जानकारी दे। | जिला कलक्टर, जैसलमेर से संबधित है |
| L | कार्यवाही विवरण के क्रमांक 1 के बिन्दु (vi) के निर्णय अनुसार जिला कलक्टर/प्रभारी अधिकारी (पुर्न0) श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 1370–71 दि0 03.02.2016 को जिला कलक्टर जैसलमेर को भेजना दर्शाया है अतः दि0 07. 07.2017 तक प्रकरण पर सम्पन्न हुई कार्यवाही की दैनिक उन्नति अर्थात कार्यवाही | जिला कलक्टर, जैसलमेर से संबधित है |

जिला कलैक्टर

| | | |
|---|---|---|
| | **–5–अपील सू.अ.अ. संख्या 71/2017**<br><br>विवरण के कमांक 1 के बिन्दु (vi) व (vii) के निर्णय अनुसार मेरे उक्त आवेदन किस अधिकारी के पास कब पहुचां, उस अधिकारी के पास यह कितने समय तक रहा और उनते समय तक आवेदनों व कार्यवाही निर्णय पर क्या किया गया। मय प्रमाण जानकारी दे। | |
| M | बिन्दु 5 के अनुसार जिला कलक्टर जैसलमेर ने प्रकरण को 12 तक अपने कार्यालय में रोकने के कारण मा0 राजस्व मंत्री के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना हुई है तथा उक्त द्वारा अपना कार्य न करने व जनता का शोषण के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी मय प्रमाण जानकारी दे। | जिला कलक्टर, जैसलमेर से संबधित है |
| N | बिन्दु–6 के अनुसार अति0 आयुक्त उपनिवेशन, जैसलमेर द्वारा प्रकरण को 56 माह तक अपने कार्यालय में रोकने के कारण मा0 राजस्व मंत्री के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना हुई है जबकि आयोजित बैठक में व स्वंय उपस्थित थे। उक्त द्वारा अपना कार्य न करने व जनता का शोषण के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी मय प्रमाण जानकारी दे। | जिला कलक्टर, जैसलमेर से संबधित है |
| O | बिन्दु–7 के अनुसार उक्त अधिकारी को कार्यवाही बैठक का ज्ञान व आवंटन प्रकिया का ज्ञान होने के बावजूद उन्होने गलत कार्यालय में प्रकरिण निस्तारण हेतु भेजने के कारणों की जानकारी मय प्रमाण बिन्दुवार दे। | जिला कलक्टर, जैसलमेर से संबधित है |
| P | बिन्दु–8 के अनुसार मय प्रमाण पूर्ण जानकारी चाहिये। | जिला कलक्टर, जैसलमेर से संबधित है |
| Q | बिन्दु–9 के अनुसार मय प्रमाण पूर्ण जानकारी चाहिये। | जिला कलक्टर, जैसलमेर से संबधित है |
| R | बिन्दु–10 के अनुसार कार्यवाही बैठक के कमांक 1 क बिन्दु(vi) व (vii) के अनुसार निस्तारण सम्बन्धी पूर्ण प्रकिया की मय प्रमाण जानकारी एवं लगने वाले समय की जानकारी चाहिये। | जिला कलक्टर, जैसलमेर से संबधित है |
| S | बिन्दु–11 के अनुसार मु0 मंत्री जन कल्याण शिविर 2017 में किये गये आवेदन पर अपनाई गई प्रकिया पर बिन्दुवार जानकारी चाहिये। | नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। यदि आप अवलोकन करना चाहते है तो किसी कार्य दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर कर सकते है और चिन्हित रिकार्ड की प्रतियां नियमानुसार प्राप्त कर सकते है। |
| **यदि आप प्रकरण से संबंधित किसी अभिलेख का अवलोकन करना चाहें तो कार्यालय दिवस में कर सकते है और चिन्हित रिकार्ड की प्रतिलिपि नियुमानुसार प्राप्त कर सकते है।** | | |

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिये गये उक्त उत्तर के अनुसार जो सूचना जिला कलक्टर, जैसलमेर के कार्यालय से संबंधित है इसकी सूचना अपीलार्थी को पत्र सं0 सू.क.अ./2017/2783–84 दिनांक 27.09.17 के द्वारा दी जा चुकी है और जिला कलक्टर, जैसलमेर को भी प्रति प्रेषित की गई है। इसलिए अपीलार्थी को जिला कलक्टर, जैसलमेर के कार्यालय से ही संबंधित सूचनांए प्राप्त करनी चाहिए। शेष सूचनांओ के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा कार्यालय समय में उपस्थित होकर रिकार्ड का अवलोकन कर सूचना प्राप्त करने के लिए लिखा गया है जो अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध रिकार्ड का निरीक्षण कर सूचना प्राप्त करनी चाहिए। अपीलार्थी द्वारा चाही गई शेष बिन्दुओ की सूचना निश्चित नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के

अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। सूचना एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) के तहत सूचना उपलब्ध करवाया जाना वर्जित है। इस प्रकार सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 27.09.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का यदि अपीलार्थी निरीक्षण कर उपलब्ध रिकार्ड में से कोई सूचना प्राप्त करना चाहे तो वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( ज्ञाना राम )
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर